राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.4(ई) (1) (6)/ अलेसे–III/ 4726-4736 दिनांक :– 28.0

आदेश संख्या 166 /2012–13

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार र्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2008 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चय में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार न कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रू – प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्ण होने के पश्चात् 2) 9300–34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व त राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (2) वित्त 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत ति द् द्वारा नियुक्त किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके र त विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करें :–

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	
1	2	3	4	5	6	7
1.	52	नीरज कुमार परेवा पुत्र श्री गोपाल लाल परेवा (रोल न0 735272)	SC	04.08.1985	कोषालय, प्रतापगढ	
2.	96	सुरेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना (रोल न0 710624)	ST	10.07.1981	कोषालय, राजसमन्द	
3.	111	राकेश कुमार भाटी पुत्र श्री पन्ना लाल भाटी (रोल न0 100642)	SC	20.07.1985	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जालौर	

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जा रही

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान ा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिक ों एवं शर्तो के अध्यधीन है ।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र में संतोषजनक प्रमाण– पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य ा उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र भी नि त्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक सम परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।

RPSC 14.5.12

नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीण/अर्हता ...त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त ...यी रिक्त पद उपलब्ध होगें इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर ...गी ।

...त नियुक्तियॉं माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ ...े त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में ...लब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना ...

...क्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने के 15 दिवस में ...िश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने ... की जावेगी । उक्त आदेश उपरोक्त अभ्यर्थियों के विरूद्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के ...न राजस्व विभाग से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 के अनुसरण में जारी किये जाते है ।

...विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें ।

निदेशक

...4 (ई) (1) (6)/अलेसे–।।।/4726-4736 दिनांक :– 28.08.12

...िम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

...नन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
...नन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
...िव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
...ागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..को प्रेषित ...लेख है कि वे संबंधित कार्मिक की कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीध्र प्रेषित करावे ।
....
.... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते ...के वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण ...ना प्रेषित करावें !
...ी सहायक, निदेशक
...यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
...त/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक–II)